न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / टी.ए. / 3174 / 2001 / जिला पाली

1- पन्नाराम) पुत्रगण श्री मुकाराम, जाति
2- दुर्गाराम) माली निवासी बुडागुड़ा तहसील
3- सुखाराम) सोजत जिला पाली ।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1- चम्पालाल (मृतक) पुत्र दीपचन्द, जाति माली जरिये कायम मुकाम :-
- 1/1- जवरीलाल पुत्र स्वर्गीय चम्पालाल
- 1/2- देवराज पुत्र स्वर्गीय चम्पालाल
- 1/3- कमला देवी पुत्री स्वर्गीय चम्पालाल
- 1/4- बिमला देवी पुत्री स्वर्गीय चम्पालाल
- 1/5- पुष्पादेवी पुत्री स्वर्गीय चम्पालाल
- 1/6- प्रेमदेवी पुत्री स्वर्गीय चम्पालाल

2- मीठालाल (मृतक) पुत्र नथमल जरिये कायम मुकाम :-
- 2/1- तेजराम पुत्र स्वर्गीय मीठालाल
- 2/2- तुल्छी देवी पुत्री स्वर्गीय मीठालाल

3- चन्दनमल पुत्र दाना
4- रूपाराम पुत्र त्रिलोक जाति लखारा निवासीगण बुडागुड़ा तहसील सोजत जिला पाली ।
5- मोहनलाल पुत्र पेमाराम जाति माली निवासीगण बुडागुड़ा तहसील सोजत जिला पाली ।
6- तेजाराम पुत्र पेमाराम
7- हीरालाल पुत्र पेमाराम
8- प्रकाश पुत्र पेमाराम
9- पारसमल पुत्र पेमाराम
10- कालू पुत्र पेमाराम
11- पेमा पुत्र धूलराम, जाति माली निवासीगण बुडागुड़ा तहसील सोजत जिला पाली ।
12- श्रीमती जेठी देवी पत्नी मानचन्द, जाति माली निवासी सिसरवादा रोड सोजत तहसील सोजत जिला पाली ।
13- भैरूसिंह (मृतक) पुत्र रावत सिंह जाति राजपुत जरिये वारिसान :-
- 13/1- प्रेमसिंह (मृतक) पुत्र स्वर्गीय भैरूसिंह जरिये कायम मुकाम :-
  - 13/1/1- भंवर सिंह पुत्र स्वर्गीय प्रेमसिंह
  - 13/1/2- श्याम सिंह पुत्र स्वर्गीय प्रेमसिंह
  - 13/1/3- फेफ कंवर बेवा स्वर्गीय प्रेमसिंह
- 13/2- गिरधारी सिंह पुत्र स्वर्गीय भैरूसिंह
- 13/3- सुखा कंवर पुत्री स्वर्गीय भैरूसिंह निवासीगण बड़ागुड़ा तहसील सोजत जिला पाली ।

14- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सोजत ।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड-पीठ
श्री प्रमिल कुमार माथुर, सदस्य
श्री एच. एस. भारद्वाज, सदस्य

उपस्थित :
श्री घनश्याम सिंह लखावत, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-1 से 3

प्रत्यर्थी संख्या-4 से 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित,

श्री आर. के. गुप्ता, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-14

दिनांक : 06 मार्च, 2013

निर्णय

1- हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-225 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा प्रकरण संख्या-66/2000 में दिनांक 28-3-2001 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं ।

2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध ग्राम मौज बड़ागुड़ा तहसील सोजत जिला पाली में अवस्थित खसरा संख्या-119 एवं 120 के संबंध में विद्वान उप खण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष राजस्व वाद बाबत उद्घोषणा, बेदखली एवं रिकार्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत किया । जिस वाद के विचाराधीन रहने के दौरान प्रतिवादी मुकाराम की मृत्यु होने के कारण वाद उपशमित होने का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी पन्नाराम के द्वारा प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 31-5-2000 द्वारा स्वीकार कर वाद उपशमित होने के कारण खारिज किया । जिस आदेश दिनांक 31-5-2000 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की । उक्त अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने आदेश दिनांक 28-3-2001 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-5-2000 को अपास्त कर, प्रकरण पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-3-2001 से व्यथित होकर हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी है ।

3- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का कथन है कि मूल वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी मुकाराम की मृत्यु होने के उपरान्त उसके वारिसान को अभिलेख पर लेने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः वाद पूर्ण रूप से उपशमित हो चुका था। विचारण न्यायालय ने वाद उपशमन होने के कारण युक्ति युक्त रूप से खारिज किया था, लेकिन अपीलीय न्यायालय ने, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अवैधानिक रूप से निरस्त किया है । उनका यह भी कथन है कि वाद में अन्तर्वलित प्रश्नों को दृष्टिगत रखते

हुये वाद का उपशमन पूर्ण रूप से ही होता है । निष्कर्षतः हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया :-

(1) 2010(2) आर.आर.टी. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ठ-1437

5- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-1 से 3 का कथन है कि यह सत्य है कि प्रतिवादी मुकाराम की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके वारिसान को अभिलेख पर लेने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है, लेकिन प्रतिवादी मुकाराम के दो पुत्र अन्य प्रतिवादी पन्नाराम एवं दुर्गाराम प्रकरण में मूल रूप से पक्षकार है । उनका यह भी कथन है कि प्रतिवादी मुकाराम की मृत्यु की सूचना विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय को प्रदान नहीं की गयी एवं प्रतिवादी मुकाराम की मृत्यु होने पर वाद पूर्ण रूप से उपशमित नहीं होकर मात्र उसकी सीमा तक ही उपशमित माना जा सकता है । अतः हस्तगत् द्वितीय अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-1 से 3 ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

(1) आर.बी.जे. (9) 2002 पृष्ठ-173
(2) आर.बी.जे. (12) 2005 पृष्ठ-677
(3) आर.बी.जे. (17) 2002 पृष्ठ-368
(4) 1975 आर.आर.डी पृष्ठ-207

6- इसके विपरीत विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-14 ने प्रकरण का निस्तारण विधिसम्मत् रूप से गुणावगुण पर किये जाने की प्रार्थना की ।

7- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया ।

8- पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य दृष्टिगोचर होता है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा वाद मूलतः उद्घोषणा एवं बेदखली के अनुतोष हेतु प्रतिवादी मुकाराम पन्नाराम एवं सुखाराम के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था एवं पन्नाराम एवं सुखाराम निर्विवादित रूप से मुकाराम के पुत्र है । अतः मुकाराम की मृत्यु होने के उपरान्त भी उनके दो पुत्र पन्नाराम एवं सुखाराम के पक्षकार होने से वाद पूर्णतया उपशमित किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

9- व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-22 नियम-4 के अनुसार भी वाद मात्र मृत प्रतिवादी की सीमा तक ही उपशमित होता है ।

10- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2010(2) आर.आर.टी. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ठ-1437 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद पूर्ण रूप से उपशमित होगा अथवा मृत व्यक्ति की सीमा तक यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करता है एवं यदि वाद इस प्रकार का है कि विधिक प्रतिनिधिगण की अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा परस्पर विरोधी डिक्री पारित करने की संभावना है तो वाद पूर्ण रूप से उपशमित होगा अन्यथा रूप से वाद केवल मृत प्रतिवादी की सीमा तक ही उपशमित होगा ।

11- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में वाद सहस्वामी एवं सयुक्त कब्जे के आधार पर प्रस्तुत किया गया था एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण विशेष में संयुक्त एवं अविभाज्य डिक्री की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुये दो विरोधाभासी डिक्री पारित होने की सम्भावना के आधार पर प्रकरण को पूर्णतया उप शमित माना था, लेकिन हस्तगत् प्रकरण के तथ्य उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में उल्लेखित तथ्यों से पूर्णतया भिन्न होने के कारण उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला जाना कि हस्तगत् प्रकरण में प्रतिवादी मुकाराम की मृत्यु होने पर वाद पूर्ण रूप से उपशमित होता है, विधिपूर्ण नहीं है । क्योंकि हस्तगत् प्रकरण में प्रतिवादीगण के कोई परस्पर विरोधी हित निहित नहीं है ।

12- अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य हस्तगत् प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतया सुभिन्न होने के कारण उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त से अपीलार्थीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है । फलतः उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने आलोच्य आदेश पारित करने में किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है ।

13- निष्कर्षतः हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर निरस्त. की जाती है एवं विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-3-2001 यथावत् रखा जाता हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(एच. एस. भारद्वाज)
सदस्य

(प्रमिल कुमार माथुर)
सदस्य